Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ➢ डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी 4,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 20 मार्च 2026, शुक्रवार। ए.सी.बी . मुख्यालय के निर्देश पर ए. सी.बी. डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **रमेश चन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर** को **4,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर चौकी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी व सपरिवादी के गांव माण्डली में मकानो के पटटे बनाने हेतु ग्राम पंचायत माण्डली ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन किया ग्राम विकास अधिकारी रमेश चन्द्र सुहालका द्वारा दोनो भाईयो के दोनो घरो के पट्टे बनाने की एवज में 8,000/- आठ हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई परिवादी द्वारा 4,000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी रमेश चन्द्र सुहालका को. देने पर घर का पट्टा दिया लेकिन उसके भाई सहपरिवदी का पट्टा नही दिया और आरोपी 4,000/- रूपये रिश्वत राशि देने पर ही प्रकाश चन्द्र के घर का पट्टा देने की बात कर रहा है। जिस पर दिनांक 18.03. 2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी रमेश चन्द्र सुहालका. ने सपरिवादी से रिश्वत राशि 4,000/- रूपये लेने हेतु सहमत हुआ है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी डूंगरपुर **उप अधीक्षक पुलिस श्री रतन सिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रमेश चन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत राशि 4,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।